न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 157 / 2018

प्रवेश तिथि 13.11.2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अवतारसिंह पुत्र स्व. श्री सेवासिंह निवासी–ए–36, हुकम विहार, निलोठी एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110041		1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) 2. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक मुण्डावर (अलवर) 3. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मुण्डावर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18.12.2018

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः 30.07.2018 के माध्यम से जमीन से संबंधित (बेचने व खरीदने के बारे में) सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।
4. प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा आवेदक को उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 30.07.2018 में वर्णित सूचनायें उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 10.09.2018 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त अपील में अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित पूर्ण दस्तावेजात् की प्रतियॉं संलग्न कर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पत्र सं. 2682 दिनांकः 16.10.18 के माध्यम से पूर्व के पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।
6. अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 09.11.2018 के माध्यम से पूर्व के दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर प्रत्यर्थी सं.1 को नोटिस जारी कर दस्तावेजी सूचना के साथ न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी सं.1 की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना / 2018 / 4546–48 दिनांकः 14.12.2018 के माध्यम से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. प्रत्यर्थी सं.1 की ओर से जवाब पत्र दिनांकः 14.12.18 के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया गया कि "आवेदन में वांछित सूचना उप पंजीयक मुण्डावर व तहसीलदार मुण्डावर कार्यालय अन्तर्गत संधारित होने के कारण मूल आवेदन उनके कार्यालय को अन्तरित किया गया जिसके संबंध में संबंधित अन्तरित कार्यालयों द्वारा पूर्ण–बिन्दुवार सूचना से आवेदक को सूचित किया जा चुका है।"
9. संबंधित अन्तरित कार्यालय उप पंजीयक मुण्डावर द्वारा आवेदक को प्रेषित सूचना का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि उप पंजीयक मुण्डावर द्वारा आवेदक द्वारा वांछित सूचना के संबंध में प्रतिलिपि हेतु शुल्क जमा करने वास्ते सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

वर्णित समयावधि के पश्चात् सूचित किया है जिससे अपीलार्थी वांछित सूचना निःशुल्क पाने का हकदार हो गया है। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पत्र दिनांकः 26.11.18 के माध्यम से प्रेषित बिन्दुवार सूचना पूर्ण है किन्तु अतिविलम्ब से प्रेषित की गई है।

10. उक्त आलोक में प्रथम अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

11. प्रत्यर्थी सं. 2 को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित आवेदन दिनांकः 30.07.2018 में वांछित सूचना अधिनियम के प्रावधानानुसार अविलम्ब निःशुल्क ही अधिप्रमाणित कर उक्त निर्णय प्रति प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे। साथ ही प्रत्यर्थी सं. 1 व 3 को सावचेत कर निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर अविलम्ब त्वरित विनिश्चय कर आवेदकों को सूचित किया जावे।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

(ओ.पी.जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)